

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई संचो;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

संचो, दिनांक : 19-4-15

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-2016 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग/ 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना /18 - चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796180545	202.76116

आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ दो लाख छियहत्तर हजार एक सौ सोलह मात्र।


- आवंटित राशि वर्ष 2015-16 के बजट उपबंध रू. 350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यार्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।
- नोट :** आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 40

रॉंची, दिनांक :- 19-4-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/खूँटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 40


रॉंची, दिनांक :- 19-4-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉंची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पौन संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना.
उपशीर्ष - 18-यात्रू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विरसुत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200796180545
बजट उपबंध (वर्ष 2015-16) रु. 350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2015 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति			
					प्रस्ता	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन					
1	2	3	4	5	संघी	सिल्ली	43 / 04.02.11	30.55000	35.115	0.00000	156.00000	156.00000	8244	13	
					संघी	बुडमू	हिसरी नौबला जुहालू-1 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	15/25.06.11	5.72000	3.764					
					संघी	बुडमू	हिसरी (श्रीव) जुहालू-1 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	15/25.06.11	5.72000	1.968					
					संघी	बुडमू	हिसरी ओमर हेड टैंक आपन-कम-वाटर हार्वस्टिंग टेल के साथ उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	15/25.06.11	15.02000	10.797	0.00000	156.00000			156.00000
					संघी	संघी नगर निगम	हिनु नाला पर चेकडैम	32/12.01.13	110.43000	75.967					
2	प्रमण्डल, संघी (RNCMIR001)	संघी	बेडो	बलरामपुर नाला पर चेकडैम	73/19.02.14	84.24000	40.280								
		संघी	बेडो	करंजी मध्यम सिंचाई योजना	90/03.03.14	319.93000	33.950								
		संघी	बुडमू	हिसरी उपरी जोहालू उदवह सिंचाई योजना	15/25.06.11	5.72000	1.544								
		संघी	संघी / बेडो	गण्डरा मध्यम सिंचाई योजना	रिषि विभाग का स्वीकृतादेश नं.-सी./डी.डी.ए.-02 / 2015 / के. दिनांक-24.03.2015	2.16116	0.000	0.00000	2.16116	2.16116					
		संघी	सोनाहावु	माहुलडीह उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	45.00000	41.984	0.00000	158.16116	158.16116					
		संघी	सोनाहावु	मानकीडीह उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	52.00000	48.633	0.00000	44.60000	44.60000	8245				
		संघी	साहे	जोकाड उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	30.89000	25.718								
		संघी	सोनाहावु	गाणडीह उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	27.10000	23.327								
					योग	0.00000	158.16116	158.16116	44.60000	44.60000					
					योग	0.00000	44.60000	44.60000	202.76116	202.76116					
					कुल योग	0.00000	202.76116	202.76116							

आवंटित राशि - दो करोड़ दो लाख छियहतर हजार एक सौ सोलह मात्र।

(ऑफर नाल)

सहायक अभियंता

(मुख्य साधन बोरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह) 19/4

प्रधान सचिव